F-19-8-14

20 रु. COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प इंदौर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक ..../निगरानी/2014

श्री विजय नागपाल अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 18-6-14 को इंदौर केम्प पर प्रस्तुत।
18-6-14

रेशमबाई पति अमरसिंहजी,
उम्र-63 वर्ष, व्यवसाय- गृहकार्य,
निवासी- ग्राम माकनी, तहसील-बदनावर,
जिला धार (म.प्र.) .... प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. लक्ष्मीनारायण पिता चम्पालालजी, आयु- 27 वर्ष,

2. संजय पिता चम्पालालजी, आयु-25 वर्ष,

3. संदीप पिता चम्पालालजी, आयु-20 वर्ष,

4 सीमा पिता चम्पालालजी, आयु-19 वर्ष,
समस्त जाति-बलाई,
निवासी- गाजीखेड़ी, तहसील बडनगर,
जिला उज्जैन (म.प्र.)

5 म.प्र. शासन द्वारा पटवारी,
ग्राम नागदा, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.)

6. रूखमाबाई पति मांगीलाल बलाई,
निवासी- ग्राम [illegible], जिला धार (म.प्र.) ....रेस्पोण्डेंट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

माननीय महोदय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता का सादर निवेदन है कि :-

याचिकाकर्ता द्वारा यह निगरानी याचिका विद्वान तहसीलदार, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 141/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है । उक्त आदेश के द्वारा प्रत्यर्थी/आवेदक लक्ष्मीनारायण वगैरह द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. स्वीकार कर प्रत्यर्थी क्रमांक 2 रूखमाबाई के वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2041 –पीबीआर/14

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक के हस्ताक्षर
22–8–2014	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–5–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । निगरानी मेमों से स्पष्ट है कि ग्राम नागदा तहसील बदनावार जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 385/1/1 रकबा 1.00 हेक्टेयर मायाबाई के नाम दर्ज है, और मायाबाई की मृत्यु के कारण उसकी चार पुत्रियां रेशमबाई, रूकमबाई, धापूबाई एवं शांतिबाई के नामांतरण हेतु प्रकरण तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन है । तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान रूकमाबाई की मृत्यु हो गई, अतः उसके वारिसानों को अभिलेख पर लिये जाने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करने में तहसीलदार द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि अनावेदकगण को स्व. रूकमाबाई की जानकारी मृत्यु के समय से ही थी, इसके बावजूद भी लगभग 18 माह पश्चात वारिसानो को अभिलेख पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि अवधि बाह्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है । कारण प्रश्नाधीन भूमि में स्व. रूकमाबाई का स्वत्व होकर उसके वारिसानों का भी स्वत्व है, अतः यदि उन्हे अभिलेख पर नहीं लिया जाता है तो उनके	

स्वत्व प्रभावित होंगे, और समय--सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर किसी को भी उसके स्वत्व से वंचित नहीं किया जा सकता है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष